



दिनांक 21.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति 441 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अयोध्या/थाना कोतवाली नगर

- 05 अभियुक्त गिरफ्तार
- लूट/टप्पेबाजी के 02 लाख 05 हजार रुपये नगद
- 02 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 21.08.2026 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर उसरू नगर के पास से 05 अभियुक्तों 1—सूरज 2—मोहन 3—राजू 4—करन 5—अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट/टप्पेबाजी के 02 लाख 05 हजार रुपये नगद, 02 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.08.2026 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रुपया लूट की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त सूरज शातिर किस्म के अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद हरदोई, अलीगढ़, अयोध्या व लखनऊ के विभिन्न थानों में लूट, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—सूरज निवासी पयागपुर मसूदपुर चौराहा थाना पयागपुर जनपद बहराइच।
- 2—मोहन निवासी बहादुरपुर थाना बसरेहर जनपद इटावा।
- 3—राजू निवासी राजेपुर थाना दही चौकी जनपद उन्नाव।

4-करन निवासी ग्राम बहादुरपुर थाना बसरेहर जनपद इटावा।

5-अभियुक्ता।

बरामदगी

1-लूट/टप्पेबाजी के 02 लाख 05 हजार रुपये नगद।

2-02 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद फतेहगढ़/थाना मोहम्मदाबाद

● 01 अभियुक्त गिरफ्तार

● लूट के 01 लाख 03 हजार 490 रुपये नगद

● 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 21.08.2026 को थाना मोहम्मदाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त कुंवर बहादुर उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 01 लाख 03 हजार 490 रुपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.08.2026 को थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मोहम्मदाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मोहम्मदाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-कुंवर बहादुर उर्फ सोनू निवासी ग्राम कल्हौर पछाह थाना धिरोर जनपद मैनपुरी।

बरामदगी

1-लूट के 01 लाख 03 हजार 490 रुपये नगद।

2-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर-39

- 04 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 12 मोटर साइकिल
- घटना में प्रयुक्त वैगनार कार आदि बरामद

दिनांक 21.08.2026 को थाना सेक्टर-39 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोदरेज बिल्डिंग के पीछे स्टेलर ग्रीन पार्क जाने वाले रोड से 04 अभियुक्तों 1-रवि प्रताप 2-विमल उर्फ सूर्या 3-प्रशांत 4-दिपांशु को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 12 मोटर साइकिल, घटना में प्रयुक्त वैगनार कार आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, दिल्ली, चंडीगढ़ के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 07-07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर-39 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-रवि प्रताप निवासी नेका मऊ थाना बेबर जनपद मैनपुरी हालपता-ग्राम तुगलकपुर थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।
- 2-विमल उर्फ सूर्या निवासी ग्राम सकत थाना बेबर जनपद मैनपुरी हालपता-हल्द्वानी मोड़ न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी थाना ईकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर।
- 3-प्रशांत निवासी ग्राम नेका मऊ थाना बेबर जनपद मैनपुरी हालपता-ग्राम तुगलकपुर थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।
- 4-दिपांशु निवासी ग्राम नेका मऊ थाना बेबर जनपद मैनपुरी हालपता-काशीराम कालोनी, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

- 1-चोरी की 12 मोटर साइकिल।
- 2-घटना में प्रयुक्त वैगनार कार आदि।

कमिश्नरेट आगरा/थाना ट्रांस यमुना

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 51 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 कुन्तल 01 किलो 620 ग्राम अवैध गांजा
- नगद रुपये
- घटना में प्रयुक्त 01 केन्टर वाहन आदि बरामद

दिनांक 20.08.2026 को थाना ट्रांस यमुना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शाहदरा कट के पास से अभियुक्त दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 51 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 कुन्तल 01 किलो 620 ग्राम अवैध गांजा, नगद रुपये, घटना में प्रयुक्त 01 केन्टर वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना ट्रांस यमुना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दीपक कुमार निवासी गोपी चांदपुर थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1—लगभग 51 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 कुन्तल 01 किलो 620 ग्राम अवैध गांजा।

2—नगद रुपये।

3—घटना में प्रयुक्त 01 केन्टर वाहन आदि।

जनपद सोनभद्र/थाना रॉबर्ट्सगंज

- 03 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 43 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 86 किलोग्राम अवैध गांजा
- नगद रुपये, 03 मोबाइल फोन
- घटना में प्रयुक्त 01 किआ कार (बिना नम्बर प्लेट) बरामद

दिनांक 20.08.2026 को थाना रॉबर्ट्सगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लोढ़ी टोल प्लाजा के पास चेकिंग के दौरान 03

अभियुक्तों 1—राजकुमार 2—विकास कुमार 3—विनोद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 43 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 86 किलोग्राम अवैध गांजा, नगद रुपये, 03 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 किआ कार (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—राजकुमार निवासी रामशहर थाना बड़हरा जनपद भोजपुर आरा बिहार।
- 2—विकास कुमार निवासी सुरंगापुर थाना संदेश जनपद भोजपुर आरा बिहार।
- 3—विनोद निवासी मटुकपुर थाना बड़हरा जनपद भोजपुर आरा बिहार।

बरामदगी

- 1—लगभग 43 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 86 किलोग्राम अवैध गांजा।
- 2—नगद रुपये, 03 मोबाइल फोन।
- 3—घटना में प्रयुक्त 01 किआ कार (बिना नम्बर प्लेट)।

➤ जनपद बस्ती/थाना नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 62 हजार 500 रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/147/148/323/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—विजय पाल 2—राम प्रताप 3—मारकंडे 4—सोनल 5—तुषार उर्फ मंकू को आजीवन कारावास व 62 हजार 500 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद बाराबंकी/थाना देवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 51 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना देवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 103(1)/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियुक्त हाफिजउल्ला को आजीवन कारावास व 51 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद हरदोई/थाना पचदेवरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना पचदेवरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त वीरेश को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद इटावा/थाना जसवंतनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 11 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा व 25-25 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना जसवंतनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/452/323/504/506/304/149 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1-विशम्भर 2-बलवीर 3-बृजेश कुमार 4-सुभाष 5-लड्डू उर्फ अजय 6-नारायण 7-धनीराम 8-हरिओम 9-खूटी उर्फ उमेश 10-भोपा 11-राहुल को 10-10 वर्ष के कारावास व 25-25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद बाराबंकी/थाना देवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख 12 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना देवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 137(2)/87 बीएनएस व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त दीपू को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख 12 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद एटा/थाना मारहरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 35 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना मारहरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4(1) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त नजीम उर्फ नजीब उर्फ नाजिम को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 35 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।